संख्या–वे0आ0–2– 1985 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के पदों पर भर्ती हेतु वर्तमान शैक्षिक अर्हता के साथ कम्प्यूटर संचालन में सी0सी0सी0 का प्रमाण–पत्र की अर्हता निर्धारित करते हुए वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– यथावत् बनाये रखा जाय। सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती हेतु वर्तमान शैक्षिक अर्हता के साथ कम्प्यूटर संचालन में सी0सी0सी0 का प्रमाण–पत्र की अर्हता निर्धारित करते हुए उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(3) विभाग के अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500–7000 के अधीक्षक पदों पर रू0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(4) राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक के कला प्रशिक्षक (यान्त्रिक)/कर्मशाला प्रशिक्षक के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(5) विभाग के अन्तर्गत विद्यमान शैक्षिक संस्थाओं के शैक्षिक पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियों पर निर्णय लिया जा चुका है। अतः शैक्षिक संस्थाओं के शैक्षिक पदों के सम्बन्ध में अलग से संस्तुतियॉ दिये जाने आवश्यकता नहीं है।

(6) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2–1985 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

( नरेन्द्र कुमार )
संयुक्त सचिव।